



मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

Tel. NO : (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail : ceomprda@gmail.com

क्रमांक :

भोपाल, दिनांक :

क्रमांक / 11535 / 22 / वि-12 / म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा / 2017 भोपाल, दिनांक: 01 / 05 / 2017

आदेश

—00—

प्राधिकरण के निविदा प्रपत्र के अनुच्छेद (GCC) – 44 में विलंब के लिए नियोजक को Liquidated Damages निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं। इस हेतु प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है –

1. प्रमुख अभियंता (अध्यक्ष)
2. मुख्य महाप्रबंधक (मुख्यालय) (सदस्य)
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) (सदस्य)
4. वित्तीय सलाहकार / वित्तीय कंसलटेंट (सदस्य सचिव)

महाप्रबंधको से प्राप्त प्रकरणों का वित्तीय सलाहकार / वित्तीय कंसलटेंट परीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में समिति की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करेंगे।

समिति प्राप्त प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण / विश्लेषण कर अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

8/1/5


(नीतेश व्यास)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल

पृ.क्रमांक/11536/22/वि-12/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा/2017 भोपाल, दिनांक:01/05/2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामणी सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मुख्यालय) म.प्र. ग्रामणी सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) म.प्र. ग्रामणी सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
4. वित्तीय सलाहकार/वित्तीय कंसलटेन्ट, म.प्र. ग्रामणी सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
5. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, इन्दौर, रीवा, जबलपुर एवं ग्वालियर।
6. समस्त महाप्रबंधक (मुख्यालय) म.प्र. ग्रामणी सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
7. समस्त महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामणी सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई म.प्र.।
8. गार्ड फाईलहेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल